



बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(Sponsored by Bank of Baroda)

सार्वजनिक  
नीलामी

**प्रधान कायालयः बुद्ध विहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-27301  
क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बांध, निकट गृहस्थ प्लाजा मऊ**

18.01.2024

**बिक्री सूचना (अचल सम्पति हतु)**  
था प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 व

क्र.	बकायेदार/जमानतदार	मांग सूचना तिथि	बकाया	आरक्षित
13(4)	विप्रतीक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अंतीम नीलामी सूचना यह कि बड़ोदा यू. पी. बैंक के प्रधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिशूलीकरण एवं पूनागर्तन और प्रतिशूलीकरण में विभिन्न ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बन्धकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी किया गया है जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर दुग्धतान करने की मांग की गयी है। यहकि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धकर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतदद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बन्धकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी बड़ोदा यूपी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्तों के प्रदत्त शर्तियों के अनुरूपोग्न में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिष्ठित ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अद्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/बन्धकर्ता(ओं) का विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी प्रकार का लेन-देन न करें यह सम्पत्ति बड़ोदा यू.पी. बैंक के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य संख्याएँ देखे हुए कि एतदद्वारा सर्वसाधारण एवं प्रधिकृत अधिकारी के अध्याधीन हैं जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य संख्याएँ देखे हुए कि एतदद्वारा सर्वसाधारण एवं सम्पत्तियों की निविदा/विड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति को विक्री निम्नानुसार वर्णित तिथित के अनुसार "जो है जैसा है, तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 17.01.2022 तक बड़ोदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बांध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मजु में प्रत्युत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 18.01.2022 को दोपहर 11.00 से 400 बजे तक बड़ोदा यू.पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय- नरई बांध, निकट गृहस्थ प्लाजा, मजु में खोलो जायेगी।	मांग सूचना तिथि	बकाया	आरक्षित

सं.	का नाम, पता	सम्पाद्त का विवरण/ रवाना का नाम	अधिग्रहण की तिथि/प्रारुप सांकेतिक/भौतिक	राशि	मूल्य
1.	बकायेदार- श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दया शंकर गुप्ता , पता: ब्रह्मस्थान सहादतपुरा, पोर्ट- मजनाथ भजन, जिला- मऊ, गारंटर्स: (1) श्री परमानन्द राजभर पुत्र श्री रामपती राजभर, पता: ग्राम- सामोगार, पोर्ट- अरदोना, जिला- मऊ, (2) श्री रामदर्श पुत्र हरिशचन्द्र, पता: मठनो 138 कृष्णमंडी के पास, ग्राम- खाजाजाहनपुर, प०० मजनाथभजन, जिला- मऊ शाखा: विकास भवन खाता संख्या- 515304030000015	सम्प्यक बंधक भूमि आराजी नं०- 504/9, मौजा- खाजाजहनपुर, परगना व तहसील- सदर, जिला- मऊ भूमि: श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री दयाशंकर गुप्ता के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 3279, दिनांक- 26.05.2015, आराजी नं० 504/9, क्षेत्रफल- 2439 वर्ग फीट चौहदी: उत्तर- 13 फीट खड़जा रास्ता, दक्षिण- 13 फीट खड़जा रास्ता , पूर्व- सहखातेदार की भूमि, पश्चिम- सेवाती देवी की भूमि इत्यादि	17.10.2019  18.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 10,19,568.00 As on 30.09.2019 + व्याज एवं अन्य खर्च	15,36,300/- 1,53,630/-
2.	बकायेदार- श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा एवं श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार वर्मा, पता: ग्राम- मुंशीपुरा, प००० मजनाथ भजन, जिला- मऊ गारंटर्स: (1) श्री राधीराम कुमार वर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार वर्मा, पता: ग्राम- मुंशीपुरा, प००० मजनाथ भजन, जिला- मऊ, (2) श्री मनोज सिंह पुत्र मदन, पता: ग्राम- अस्तुपुरा, पोर्ट- मजनाथ भजन, जिला- मऊ शाखा: बकवल खाता संख्या- 515404030000014	सम्प्यक बंधक जमीन आराजी नं०- 592, मौजा- परदहा, परगना व तहसील- मोगोहना, जिला- मऊ भूमि: श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 2975, दिनांक- 29.06.2017, आराजी नं० 592, क्षेत्रफल- 2440 वर्ग फीट चौहदी: उत्तर- 9 फीट देवी का प्लाट, दक्षिण- प्रमीली का मकान, पूर्व- कच्चा रास्ता 12 फीट , पश्चिम- नाली उसके बाद जयसिंह की जमीन इत्यादी	31.07.2019  18.11.2020 सांकेतिक कब्जा	Rs. 7,20,751.00 As on 30.06.2019 + व्याज एवं अन्य खर्च	11,63,700/- 1,16,370/-
3.	बकायेदार- मेसर्स मंगलम होजरी, प्रोप० बुजेश कुमार सिंह पुत्र विपिन बिहारी सिंह व गारंटर्स- श्री हंसनाथ गुप्ता पुत्र बालेश्वर गुप्ता, पता: निजामुद्दीनपुरा, पोर्ट- मजनाथ भजन, जिला- मऊ और श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राज जगदीश सिंह, पता: अंशा मौड़ी भीती, पोर्ट- मजनाथ भजन, जिला- मजनाथ भजन शाखा: भिटी खाता संख्या- 515115010600132	सम्प्यक बंधक जमीन व भवन मं नं० 110, मौजा- सरैया लखांसी, मोहल्ला- अस्तुपुरा, परगना व तहसील- मजनाथ भजन, जिला- मऊ भूमि व भवन: श्री बुजेश कुमार सिंह पुत्र व्य० विपिन विहारी सिंह के नाम रक्षित है। विक्रय विलेख सं०- 4961, दिनांक- 16.09.2014, मकान नं० 110, क्षेत्रफल- 958.72 वर्ग फीट चौहदी: उत्तर- राजनाथ और शकुन्तला देवी का प्लाट, दक्षिण- कृष्ण मोहन राय का मकान, पूर्व- इण्टर लॉकिंग रोड, पश्चिम- राजकुमार राय की चारदिवारी	28.04.2017  15.11.2017 सांकेतिक कब्जा	Rs. 10,12,948.00 As on 31.03.2017 + व्याज एवं अन्य खर्च	19,78,000/- 1,97,800/-

का नाम दय हा नावदा पर का संस्थ नावदन करा अधिकतम तला नाला धनराशी। जा आवाहन मूल्य से करन हा) वाल नावदाकर्ता का सफल प्राप्त करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि का बिना आया जहां के एक साताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए रखीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि का निधारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसका द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जप्त कर ली जायेगी। 4. प्राप्तिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊंची/समर्पण निविदा को स्थीकार / अस्थीकार / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार है। प्राप्तिकृत अधिकारी नीलामी की दिशि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राप्तिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति के सबसे ऊंची दिशि किसी चाज़ि, निवन, भार, प्रोप्रीटी टैक्स, सरकारी डियर्य, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी रस्ताप, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का बहुत स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशी की आती हैं तो प्राप्तिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बिच आपस में पून: विडिंग करा ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। 9. जो है जैसी है “तथा “जहां है जैसी है” के अधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार / बधककर्ताओं नीलामी की दिशि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ती की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 (By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2002) धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार / बधककर्ता को नीलामी दिशि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दरां में बंधक प्रतिभूति आरित को उन्नायित कराने सम्बन्धी सभी अवधर उपलब्ध है। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तराधार्य है कि कोई नीलामी भी भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु समर्थित शाया से पहले से समय लेकर फिरी सी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पक कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋण करता(ओं) / गारन्टी कर्ता(ओं) / बधक कर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता / सर्वाधारण के लिये सामान्य रूप है। 12. विस्तृत जानकारी / विवरणी हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> पर उपलब्ध है।

रासायनिक विद्युत ऊर्जा के लिए उपयोग की जाती है।

**नोट :** प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

- 14.12.2021 स्थान - मऊ प्राधिकत अधि

Journal of Oral Rehabilitation 2003 30: 103–109

Page 1

Page 1